

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

17.01.2025

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीनी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण वावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्ड्ड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं।

अतः प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहती है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम वावनगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 2049/1904 रकबा 5.3580 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीनी मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सुपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 68

दिनांक : 17-01-2025

प्रार्थनी  
डिम्पल कुँवर पत्नी कालूसिंह  
बनाम  
रुगनाथ पुत्र कोलाजी  
विप्रार्थीगण  
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश  
जरिये पत्थर गद्दी

राजस्व आवेदन सं 182 / 2023

दिनांक :- 17.01.2025

--: आदेश :-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम वावनगर तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 2049 / 1904 रकबा 5.3580 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 / - प्रार्थनी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

दिनांक : 17-01-2025

क्रमांक: वाचक / 2025 / 69  
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी पादरू को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थनी डिम्पल कुँवर पत्नी कालूसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा



  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)